<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243695 SG-DL-E-17022023-243695

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 485 No. 53] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944 [N. C. T. D. No. 485

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

फा. सं. 6/25/04—न्याय/अधी.विधि./365—370.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70/डीएच(एस) तथा दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70/डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित के साथ पिठत और इस संबंध में सशक्त बनाने वाली अन्य समस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 की अनुसूची समय—समय पर यथासंशोधित, को निम्न अनुसूची से प्रतिस्थापित करते हैं:—

''अनुसूची (नियम 4 देखिये)

1. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश

- 11
- 2. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश—सह—विशेष न्यायाधीश (पी०सी० एक्ट) 01 (सी०बी०आई०)

1029 DG/2023 (1)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) उत्कृष्ट समय मान में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय फास्ट ट्रैक न्यायालय बलात्कार एवं पोक्सो मामलों के लिए विशेष न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण/ वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण/ श्रम न्यायालय, सहित)	11 64 01 09 18 22
10.	विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस	03
11.	प्रति नियुक्ति एवं आरक्षित अवकाश	34
	कुल	405
	समय मान पदः चयन ग्रेड पदः संवर्ग संख्या बल का 25 प्रतिशत – 101	167
	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय – 01 – 09 – 09 – उत्कृष्ट समय मान पदः	111
	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश — 11 जिला एवं सत्र न्यायाधीश—सह—विशेष न्यायाधीश (पी०सी० एक्ट) (सी०बी०आई०) — 01 प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय — 11 जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) — 64 संवर्ग संख्या बल का 10 प्रतिशत — 40	127''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS **NOTIFICATION**

Delhi, the 16th February, 2023

F. No. 6/25/04-Judl./Suptlaw/365-370 .—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.1/2/70-DH(S) dated 29th May, 1970 as amended by Notification No.1/2/70-DH(S) dated 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capitial Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to substitute the following new schedule, for the schedule as amended from time to time in terms of Rule 4(1), to the Delhi Higher Judicial Service, Rules, 1970 namely: -

"SCHEDULE (see Rule 4)				
11.	Deputation and Leave Reserve	34		
	Total:	405		
Time Scale Posts				
Selection C	Grade Posts:			
	he Cadre Strength - 101 Principal Judge, Family Court - 01 mily Court - 09	111		
Super Time	e Scale Posts:			
Principal D	District and Sessions Judges - 11 District & Sessions Judge – Cum- dge (PC Act) (CBI) - 01			
Principal Ju District Jud	udges Family Courts - 11 dges (Commercial Courts) - 64 the Cadre strength - 40	127"		

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.